श्री सी0 के0 अनिल, प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक–15.12.2025 को 03:30 बजे अपराह्न में लखीसराय जिला मंत्रणा कक्ष में आयोजित राजस्व संबंधी समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :– यथा पंजी अनुसार।

बैठक के प्रारंभ में प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार, पटना द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई एवं राजस्व कार्य से संबंधित निम्नांकित विषयों की समीक्षा की गई।

1. **Mutation Defect Check** :– i. समीक्षा के क्रम में पाया गया कि लखीसराय जिलान्तर्गत Mutation Defect Check में अंचलाधिकारी के पास 342 मामले एवं राजस्व कर्मचारी के पास 417 मामले लंबित है, जिसमें से सबसे अधिक सूर्यगढ़ा अंचल एवं लखीसराय अंचल में मामले लंबित है। अतः बैठक में उपस्थित सभी अंचलाधिकारी एवं राजस्व कर्मचारी को निदेश दिया गया कि विभाग द्वारा निर्धारित समय–सीमा के अन्दर सभी मामले का निष्पादन करना सुनिश्चित करें।

ii. Mutation Defect Check की हल्कावार समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सबसे अधिक 145 मामले लखीसराय अंचल के नगर परिषद क्षेत्र में लंबित है। प्रधान सचिव द्वारा नगर परिषद क्षेत्र के राजस्व कर्मचारी श्री वेदप्रकाश शर्मा को निदेश दिया गया कि अविलम्ब सभी मामलों का निष्पादन करना सुनिश्चित करें।

iii. समीक्षा के क्रम में पाया गया कि दाखिल–खारिज निष्पादित करने की राज्य का औसत अवधि 44 कार्य दिवस है, लेकिन पिपरिया अंचल का औसत अवधि 81 दिन, लखीसराय अंचल का 60 दिन, हलसी अंचल का 53 दिन, चानन अंचल का 52 दिन एवं रामगढ़चौक अंचल का 50 दिन है। लखीसराय जिले का औसत अवधि 51 दिन है। इस संबंध में प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि राज्य के औसत अवधि से कम अवधि में वाद का निष्पादन करना सुनिश्चित करें।

2. **दाखिल–खारिज** :– i. लखीसराय जिलान्तर्गत दाखिल–खारिज से संबंधित 35 दिन से अधिक अवधि तक कुल–844 मामले लंबित है, जिसमें से 523 मामले लखीसराय अंचलाधिकारी से संबंधित है, इसी प्रकार 75 दिन से अधिक अवधि के 507 मामले लंबित है, जिसमें 407 मामले लखीसराय अंचल से संबंधित है। इसी प्रकार 120 दिन से अधिक अवधि के 349 मामले लंबित है, जिसमें से 291 मामले लखीसराय अंचल से संबंधित है। लखीसराय अंचल में लंबित मामले पर प्रधान सचिव द्वारा काफी नाराजगी व्यक्त की गई एवं बैठक में उपस्थित अंचलाधिकारी एवं सभी राजस्व कर्मचारियों को निदेश दिया गया कि अविलम्ब सभी मामले का निष्पादन करना सुनिश्चित करें।

ii. दाखिल–खारिज से संबंधित लंबित वादों का हल्कावार समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सबसे अधिक 605 मामले लखीसराय अंचल के नगर परिषद क्षेत्र में लंबित है। प्रधान सचिव द्वारा नगर परिषद क्षेत्र के राजस्व कर्मचारी श्री वेदप्रकाश शर्मा को निदेश दिया गया कि अविलम्ब सभी मामलों का निष्पादन करना सुनिश्चित करें।

iii. दाखिल–खारिज (2025–26) वित्तीय वर्ष–2025–26 में लखीसराय जिलान्तर्गत कुल–3251 मामले लंबित है, जिसमें से सबसे अधिक लखीसराय अंचल में 1923 मामले लंबित है। अंचल लखीसराय के कार्य प्रगति बहुत ही दयनीय पाई गयी। इस संबंध में प्रधान सचिव द्वारा अंचल अधिकारी, लखीसराय को निदेश दिया गया कि अपने कार्यशैली में सुधार लाते हुए लंबित मामलों का निष्पादन करना सुनिश्चित करें, अन्यथा कार्रवाई करने की बाध्यता होगी।

परिमार्जन प्लस (Digitized Jamabandi) :- i. लखीसराय जिलान्तर्गत परिमार्जन प्लस से संबंधित 35 दिन से अधिक अवधि के कुल–654 मामले लंबित है, जिसमें से 284 मामले लखीसराय अंचलाधिकारी से संबंधित है, इसी प्रकार 75 दिन से अधिक अवधि के 1135 मामले लंबित है, जिसमें 536 मामले लखीसराय अंचल से संबंधित है। इसी प्रकार 120 दिन से अधिक अवधि के 465 मामले लंबित है, जिसमें से 222 लंबित मामले लखीसराय अंचल से संबंधित है। लखीसराय अंचल में लंबित मामले पर प्रधान सचिव द्वारा काफी नाराजगी व्यक्त की गई एवं बैठक में उपस्थित अंचलाधिकारी को निदेश दिया गया कि अविलम्ब सभी मामले का निष्पादन करना सुनिश्चित करें।

ii. परिमार्जन प्लस (Digitized Jamabandi) से संबंधित लंबित वादों का हल्कावार समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सबसे अधिक 574 मामले लखीसराय अंचल के नगर परिषद क्षेत्र में लंबित है। प्रधान सचिव द्वारा नगर परिषद क्षेत्र के राजस्व कर्मचारी श्री वेदप्रकाश शर्मा को निदेश दिया गया कि अविलम्ब सभी मामलों का निष्पादन करना सुनिश्चित करें।

iii. परिमार्जन प्लस (Digitized Jamabandi) (2025–26) वित्तीय वर्ष–2025–26 में लखीसराय जिलान्तर्गत कुल–2872 मामले लंबित है, जिसमें से सबसे अधिक लखीसराय अंचल में 1231 मामले लंबित है। लखीसाराय का कार्य प्रगति बहुत ही दयनीय है। इसी प्रकार रामगढ़चौक में 377 मामले, चानन अंचल में 291 मामले, हलसी अंचल में 201 मामले, पिपरिया अंचल में 233 मामले, बड़हिया अंचल में 168 मामले एवं सूर्यगढ़ा अंचल में 371 मामले लंबित है। इस संबंध में प्रधान सचिव द्वारा सभी अंचल अधिकारी, लखीसराय जिला को निदेश दिया गया कि अपने कार्यशैली में सुधार लाते हुए लंबित मामलों का निष्पादन करना सुनिश्चित करें।

3. **परिमार्जन प्लस (Left out Jamabandi)** :- i. लखीसराय जिलान्तर्गत परिमार्जन (लेफ्ट आउट जमाबंदी) से संबंधित कुल–1953 मामले लंबित है, जिसमें से 451 मामले लखीसराय अंचलाधिकारी से संबंधित है, इसी प्रकार 352 मामले बड़हिया अंचल, 390 मामले सूर्यगढ़ा अंचल, 264 पिपरिया अंचल, 245 रामगढ़चौक अंचल से संबंधित है। लंबित मामले पर प्रधान सचिव द्वारा काफी नाराज़गी व्यक्त की गई एवं बैठक में उपस्थित सभी अंचलाधिकारी को निदेश दिया गया कि अविलम्ब सभी मामले का निश्पादन करना सुनिश्चित करें।

ii. परिमार्जन प्लस (Left out Jamabandi) से संबंधित लंबित वादों का हल्कावार समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सबसे अधिक 170 मामले लखीसराय अंचल के नगर परिश्द क्षेत्र में लंबित है। प्रधान सचिव द्वारा नगर परिषद क्षेत्र के राजस्व कर्मचारी श्री वेदप्रकाश शर्मा को निदेश दिया गया कि अविलम्ब सभी मामलों का निश्पादन करना सुनिश्चित करें।

4. **ई– मापी** :– रैयतों से प्राप्त मापी हेतु आवेदन का निष्पादन ससमय किया जाना है, ताकि भूमि विवाद की समस्या कम से कम उत्पन्न हो। लखीसराय जिलान्तर्गत वित्तीय वर्ष–2025–26 में अबतक कुल–1080 मापी किया गया है एवं 484 मापी हेतु लंबित है, जिसमें से सबसे अधिक सूर्यगढ़ा–238 एवं लखीसराय अंचल में

111 मामले लंबित है, जो खेदजनक है। लखीसराय जिले में एक माह में एक अमीन के द्वारा औसत मात्र छः मापी ही किया जाता है जो खेदजनक है।-प्रधान सचिव द्वारा बैठक में उपस्थित सभी अंचलाधिकारी, राजस्व अमीन को निदेश दिया गया कि एक कार्य दिवस में कम से कम तीन मापी करना सुनिश्चित करें।

बैठक में उपस्थित अमीन को निदेश दिया गया कि जब भी क्षेत्र में मापी करने हेतु जाते हैं तो GPS कैमरा से अपनी फोटो/सेल्फी लेकर अंचलाधिकारी को भेजेंगे।

5. **Public Grievance** :– राजस्व से संबंधित शिकायत दर्ज कराने हेतु Revenue Public Grievance Portal लाया गया है, जिसमें आम नागरिकों के द्वारा राजस्व संबंधी अपनी शिकायत ऑनलाईन दर्ज करा सकते हैं। लखीसराय जिलान्तर्गत उक्त पोर्टल पर सबसे अधिक कुल–98 मामले लखीसराय अंचल में लंबित है, इसी प्रकार सूर्यगढ़ा अंचल–45, हलसी अंचल–24, रामगढ़चौक अंचल–20, बड़हिया अंचल–16 एवं पिपरिया अंचल–10 मामले लंबित है। प्रधान सचिव महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित सभी अंचलाधिकारी को निदेश दिया गया कि अविलम्ब लंबित मामलों का निष्पादन करना सुनिश्चित करें।

प्रधान सचिव महोदय द्वारा यह भी निदेश दिया गया कि दिनांक–15.12.2025 को आयोजित टाउन हॉल लखीसराय में जितने भी आवेदन प्राप्त हुए हैं उन सभी आवेदन पत्र को संबंधित अंचलाधिकारी के द्वारा Revenue Public Grievance Portal पर अपलोड करेंगे एवं नियमानुसार कार्रवाई करते हुए कृत कार्रवाई का प्रतिवेदन पोर्टल पर अपलोड करेंगे।

6. राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली (RCMS) :– लखीसराय जिलान्तर्गत राजस्व न्यायालय से संबंधित दायर वादों की समीक्षा की गई।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता न्यायालय

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि BLDRA से संबंधित कुल–285 वादों में से 221 वादों का निष्पादन कर दिया गया है एवं 64 मामले लंबित हैं। इसी प्रकार Mutation Appeal में कुल–2700 वादों में से 1534 वादों का निष्पादन हो चुका है एवं 1166 वाद लंबित है। इससे स्पष्ट होता है कि BLDRA से संबंधित 77.54 प्रतिशत एवं Mutation Appeal से संबंधित 56.81 प्रतिशत वादों का निष्पादन किया गया है।

प्रधान सचिव द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लखीसराय को निदेश दिया गया कि सभी लंबित मामलों का निष्पादन यथाशीघ्र करना सुनिश्चित करें।

अपर समाहर्त्ता न्यायालय

बैठक में अपर समाहर्त्ता न्यायालय में दायर वादों की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि Mutation Revision से संबंधित कुल–202 वाद दायर किये गये हैं, जिसके विरूद्ध 113 वादों का निष्पादन किया जा चुका है एवं 89 वाद लंबित है। निष्पादन वादों का प्रतिशत 55.94 है। इसी प्रकार Jamabandi Cancellation से संबंधित कुल–649 वाद दायर किये गये है, जिसके विरूद्ध 277 वादों का निष्पादन किया गया है एवं 372 वाद लंबित है। निष्पादित वादों का प्रतिशत 42.68 है।

प्रधान सचिव द्वारा अपर समाहर्त्ता, लखीसराय को निदेश दिया गया कि सभी लंबित मामलों का निष्पादन यथाशीघ्र करना सुनिश्चित करें।

7. अभियान बसेरा–2 :– लखीसराय जिलान्तर्गत अभियान बसेरा–2 के अन्तर्गत कुल–1159 परिवारों को चिन्हित किया गया था, जिसमें से 700 परिवार को Not fit for Allotment घोषित किया गया। इस पर सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा काफी नाराजगी व्यक्त की गई। साथ ही बड़हिया में सिर्फ 21

परिवारों को सर्वे करने के बिन्दु पर भी काफी क्षोभ व्यक्त किया गया। वर्तमान में योग्य पाये गये 459 परिवारों में से मात्र 392 परिवारों को ही भूमि उपलब्ध कराया गया है एवं 69 लाभुक अभी भी लाभ से बंचित है। संबंधित अंचल अधिकारी को निदेश दिया गया कि अविलम्ब लंबित बंचित लाभुकों को भूमि उपलब्ध कराया जाय। साथ ही अयोग्य किये गये परिवारों की भी पुनः जॉच कर लें। राजस्व कर्मचारी स्वयं सर्वे किये है, पुनः Not fit for Allotment कैसे। दोषी राजस्व कर्मचारियों को चिन्हित कर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

8. <u>राजस्व महा–अभियान</u> :– राजस्व महा–अभियान के अन्तर्गत लखीसराय जिला में कुल–34526 आवेदन प्राप्त हुए है, जिसके विरूद्ध मात्र 24176 आवेदन स्कैन कर अपलोड किया गया है। लखीसराय जिले में Total Applied Application शून्य है, जिस पर प्रधान सचिव द्वारा काफी नाराजगी व्यक्त की गई है। विदित हो कि टोटल आवेदन पत्र को स्कैन कर अपलोड करते हुए Application जेनरेट करने का कार्य दिनांक–31.12.2025 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित है। प्रधान सचिव द्वारा सभी अंचलाधिकारी को निदेश दिया गया कि इस कार्य को ससमय पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

9. <u>अतिक्रमण</u> :– लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1954 के द्वारा सरकारी भूमि पर से अतिक्रमण हटाने की शक्ति अंचल अधिकारी को दी गई है। RCMS पोर्टल पर अतिक्रमण से संबंधित दायर वादों की संख्या काफी कम प्रदर्शित हो रही है, इसका कारण यह है कि अंचलाधिकारियों के द्वारा अतिक्रमण हटाया जाता है लेकिन अभिलेख का संधारण नहीं किया जाता है जो खेदजनक है। प्रधान सचिव द्वारा सभी अंचलाधिकारी को निदेश दिया गया कि जब भी किसी प्रकार का अतिक्रमण से संबंधित कार्रवाई करते है तो अभिलेख का संधारण अवश्य किया जाय। इसे दृढ़ता से अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

10. <u>सरकारी जमीन का जमाबंदी कायम करना</u> :– बिहार सरकार के अन्तर्गत राजस्व विभाग में कार्य करने वाले राजस्व पदाधिकारी/कर्मी का यह दायित्व है कि वे सरकारी जमीन को सुरक्षित रखेंगे। लेकिन प्रायः ऐसी सूचना मिलती है कि सरकारी कर्मी के द्वारा ही सरकार के जमीन को निजी व्यक्तियों के नाम से जमाबंदी कायम कर दिया जाता है, जो काफी चिन्ता का विषय है। प्रधान सचिव, राजस्व एवें भूमि सुधार विभाग द्वारा बैठक में सभी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि सर्व प्रथम सरकारी जमीन को सुरक्षित रखने हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई करें एवं यदि पूर्व में सरकारी जमीन का जमाबंदी कायम हो गया है तो अविलम्ब जमाबंदी रद्द का प्रस्ताव अपर समाहर्त्ता, लखीसराय को भेजना सुनिश्चित करें। साथ ही माननीय उप मुख्यमंत्री–सह–मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा यह निदेश दिया गया कि आगामी दिनांक–14.01.2026 तक सभी अंचल अपने लंबित सभी मामलों यथा–ऑनलाइन दाखिल–खारिज, परिमार्जन प्लस, ई–मापी, अभियान बसेरा–2 एवं सरकारी भूमि का सत्यापन के कार्य को नियमानुसार निष्पादन करना सुनिश्चित करें। पुनः आगामी समीक्षात्मक बैठक में इसकी समीक्षा की जायेगी।

<u>अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।</u>

(जय सिंह)
सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–10/सम0 (बैठक कार्यवाही)–05/2026— 242 (10)/रा0, पटना–15, दिनांक – 19.02.26

E-mail

प्रतिलिपि– प्रमंडलीय आयुक्त, मुंगेर/समाहर्त्ता, लखीसराय/अपर समाहर्त्ता, लखीसराय/नगर आयुक्त, लखीसराय/सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लखीसराय/सभी अंचल अधिकारी, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/2/26
(आजीव वत्सराज)
अपर सचिव।

ज्ञापांक–10/सम0 (बैठक कार्यवाही)–05/2026— 242 (10)/रा0, पटना–15, दिनांक – 19.02.26

प्रतिलिपि–निदेशक, तीनों निदेशालय/अपर सचिव/संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/सभी विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी अवर सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/2/26
(आजीव वत्सराज)
अपर सचिव।

ज्ञापांक–10/सम0 (बैठक कार्यवाही)–05/2026— 242 (10)/रा0, पटना–15, दिनांक – 19.02.26

प्रतिलिपि–माननीय उप मुख्यमंत्री–सह मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/सभी सचिव के आप्त सचिव/कोषांग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/2/26
(आजीव वत्सराज)
अपर सचिव।